भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **4321**

दिनांक 18 जुलाई , 2019 / 27 आषाढ़, 1940 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

यात्री सुविधाएं

4321. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश का निर्णय लिया है;
(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान यात्रियों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने विमान यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कुछ विशेष कदम उठाए हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) बुंदेलखड को हवाई यात्रा बेहतर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी हां। सरकार एयर इंडिया के विनिवेश के लिए प्रतिबद्ध है।
(ख) और (ग): यातायात डेटा के मासिक प्रस्तुतीकरण के हिस्से के रूप में एयरलाइंस द्वारा प्रस्तुत घरेलू यात्रियों में बढ़ोतरी का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	ले जाए गए यात्री(लाख में)	यात्रियों की संख्या में वृद्धि (%)
2016	998.88	------
2017	1171.76	17.3
2018	1389.76	18.6
2019(मई तक)	586.54	2.6

(घ) और (ङ): यात्रियों की असुविधा को कम करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा 27.02.2019 को यात्री अधिकार चार्टर जारी किया गया है। यह चार्टर सभी अनुसूचित / गैर-अनुसूचित घरेलू ऑपरेटरों और भारत से/को प्रचालित विदेशी वाहकों पर लागू होता है। चार्टर में, यात्रियों को अधिकार दिए गए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उड़ान में विलब, उड़ान रद्दीकरण, ओवर बुकिंग के कारण चढ़ने से मना करना, रद्दीकरण प्रभार, विकलांग यात्रियों के लिए सुविधाएं, गुम/ विलंबित/ क्षतिग्रस्त सामान आदि मामलों से संबन्धित अधिकार भी दिये गए हैं।
उपर्युक्त के अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने हवाईअड्डों को यात्री सुविधाएं देने के साथ-साथ नियमित रूप से उन्नत और आधुनिक बना रहा है। हवाईअड्डों पर यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या के लिए चेक इन के समय कम करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 40 मुख्य हवाईअड्डों पर आम उपभोक्ता टर्मिनल उपकरण(CUTE), आम उपभोक्ता स्वय सेवा(CUSS) कियोस्क और स्केन्नर उपलब्ध कराये गए हैं। इसके अतिरिक्त, 53 हवाईअड्डों पर नि: शुल्क वाई-फाई सुविधा प्रदान की गई है।
(च): मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, भारतीय घरेलू विमानन पूरी तरह से अविनियमित कर दिया गया था। एयरलाइंस सेवा और संचालन के लिए किसी भी विमान प्रकार के साथ क्षमतावृद्धि करने,बाजार और नेटवर्क चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इस संबंध में, सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की वायु परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के दृष्टिकोण के साथ मार्ग संवितरण दिशानिदेश निर्धारित किए हैं। तथापि, विशिष्ट स्थलों के लिए विमान सेवाएँ उपलब्ध करवाना एयरलाइनों पर निर्भर करता है जो यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर आधारित है। इस प्रकार, एयरलाइंस सरकार द्वारा जारी

मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन देश में कहीं भी प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना (RCS-UDAN) की शुरूआत की है, ताकि क्षेत्रीय सम्पर्कता को किफायती बनाकर सुगम बनाया जा सके / बढ़ावा दिया जा सके। आरसीएस (RCS-UDAN) बाजार संचालित तंत्र है। क्षेत्रीय सम्पर्कता मार्गों का विकास, बाजार की शक्तियों पर छोड़ा गया है तथा एयरलाइनें विशेष मार्गों पर आवश्यक मांग और आपूर्ति का निर्धारण करती है और आरसीएस के अंतर्गत प्रकिया को आगे बढ़ाती है ।

*****